

प्रधक.

ममता श्रीवास्तव,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,  
कन्दौल माध्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र  
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुसार

तिपग - सण्ट माकर्स पालिक एकूल कुवरपुर आगरा का सो०बी०एस०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोबय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मूँहे यह कहने का निदश हुआ है कि उक्त संदोमेत विद्यालय का सो०बी०एस०इ० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अधीन आपत्ति नहीं है-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति वे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रक्षान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावाले बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्डिंग द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) सरकार द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से भान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एज्युकेशन नईदिल्ली/कॉर्सिल कार दि इण्डियन एकूल स्टॉफिंग कॉर्पोरेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान शुल्क समाप्त हो जायेगे।
- (5) सरकार के हांसिक एवं शिक्षणत्तर कमचारियों का राजकीय राहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कमचारियों की अनुमत्य वेतनमानी तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कमचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कमचारियों को अनुमत्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संख्या उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निष्ठारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2— उक्त प्रतिवंशों का पालन करना संख्या के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संख्या द्वारा उक्त प्रतिवंशों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भद्रदीय,

(ममता श्रीदास्तब)  
उप सचिव ।

### प०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— शिक्षा निदेशक(मा०),उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
- 2— सण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,आगरा ।
- 3— जिला विद्यालय निरीक्षक,आगरा ।
- 4— निरीक्षक,आगल भारतीय विद्यालय,उ०प्र०,लखनऊ ।
- 5— प्रबंधक,सेण्ट मार्क्स पाइलक स्कूल,कुवेरपुर,आगरा ।
- 6— गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीदास्तब)  
उप सचिव ।